न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अम्बेडकरनगर

उपस्थितः- प्रियंका सिंह, "उ०प्र० न्यायिक सेवा"

फौ०वाद संख्या- 2209/2018, **सी०नं०-** 1201715/2018

सीएनआर नं०- **UPAN**040083792018

सरकार ------------------- **अभियोजन पक्ष**

बनाम

1. चन्द्रिका प्रसाद पुत्र स्व० मिठाई प्रसाद

निवासी ग्राम-भगवानपुर, थाना-अहिरौली बाजार, जनपद-कुशीनगर।

2. त्रिलोकी प्रसाद पुत्र स्व० गोरी शंकर सोनी

निवासी ग्राम-बेलसर, थाना-तखगंज, जनपद-गोण्डा।

3. दीपनारायन पुत्र स्व० तपेश्वर

निवासी ग्राम-गोपालपुर, थाना-बाँसगाव, जनपद-गोरखपुर।

4. हरेन्द्र प्रसाद पुत्र हीरालाल

निवासी ग्राम-उसरैला, थाना-पकड़ी, जनपद-बलिया।

5. दिनेश तिवारी उर्फ पप्पू पुत्र इकबाल तिवारी **(मृतक)**

निवासी मोहल्ला शिवनगर, थाना कोतवाली-नगर, जनपद-फैजाबाद/अयोध्या।

-------------- **अभियुक्तगण**

मु०अ०सं०-31/2004
धारा-383, 384, 386, 34 व 506 भा०दं०सं०,
थाना कोतवाली-टाण्डा,
जिला -अम्बेडकरनगर।

निर्णय

अभियुक्तगण चन्द्रिका प्रसाद, त्रिलोकी प्रसाद, दीपनारायन, हरेन्द्र प्रसाद व दिनेश तिवारी उर्फ पप्पू का विचारण धारा-383, 386 व 506 भा०दं०सं० के अन्तर्गत थाना कोतवाली-टाण्डा, जनपद-अम्बेडकरनगर की पुलिस द्वारा प्रस्तुत आरोप-पत्र के आधार पर किया गया।

2. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा जबरूलहसन, एस.एस.आई., थाना कोतवाली-टाण्डा, जनपद-अम्बेडकरनगर द्वारा प्रभारी निरीक्षक, थाना कोतवाली-टाण्डा, जनपद-फैजाबाद वर्तमान जनपद-अम्बेडकरनगर को इस आशय की लिखित तहरीर प्रस्तुत किया गया कि, "वीट सूचना सं०-30 दिनांक 22.03.2004 थाना स्थानीय की मुझ एस.एस.आई. द्वारा जाँच की गयी तो वाक्यात इस प्रकार पाये गये। जाँच से ज्ञात हुआ कि कां० 166 चन्द्रिका प्रसाद व कां० 246 त्रिलोकी प्रसाद मुतैना, जनपद-बस्ती अभियुक्त दिनेश तिवारी उर्फ पप्पू पुत्र इकबाल तिवारी निवासी मोहल्ला शिवनगर, थाना कोतवाली-नगर, फैजाबाद संबंधित मु०अ०सं०-135/2001 अन्तर्गत धारा-368, 364ए., 411 व 120बी. भा०दं०सं०, थाना कोतवाली-अकबरपुर जो जिला कारागार, बस्ती में निरूद्ध है, को दिनांक 22.03.2004 को बस्ती से अभियोग के परीक्षण हेतु एफ.टी.सी. कोर्ट, अकबरपुर अपनी अभिरक्षा में पेशी हेतु लेकर जा रहे थे कि समय करीब 09:30 बजे सुबह अभियुक्त उपरोक्त को लेकर श्री जियाराम मनोहर लाल फर्म के मालिक श्री बृजराज पुत्र गोपी रंजन निवासी मोहल्ला चौक हयातगंज, थाना कोतवाली-टाण्डा के आवास पर पहुँचे और अभियुक्त ने बृजराज को धमकाते हुए पैसों की मांग किया, जिस पर उक्त बृजराज ने अपना दरवाजा बंद कर अपने सगे संबंधियों को टेलीफोन से सूचित किया, जिस पर कस्बावासी व अन्य व्यापारी वर्मा आक्रोशित होकर घेराब करने करने की मुद्रा में हो गये। इस स्थिति को देखकर उक्त कर्मचारीगण अभियुक्त दिनेश तिवारी को अकबरपुर पेशी पर लेकर चले गये। जाँच के मध्य यह भी पता चला कि उक्त मुकदमे का अभियुक्त दिनेश तिवारी दिनांक 11.03.2014 को भी सिपाहियों की अभिरक्षा में आकर बृजराज से धमकी देकर मु० 10,000/- रूपये उगाही किया था। उपरोक्त दोनों घटनाओं की सूचना श्री बृजराज ने अभियुकेत के भय से थाना स्थानीय पर नहीं दिया। ज्ञातव्य हो कि जिस अभियोग में अभियुक्त पेशी हेतु अकबरपुर जा रहा था, उस अभियोग का पीड़ित भी अभियुक्त के भय से स्वयं थाना स्थानीय पर सूचना दर्ज नहीं कराया था। अभियुक्त का लोगों में भय व्याप्त होने के कारण कोई सूचना अंकित नहीं कराता। अतः याचना की गयी कि अभियुक्त दिनेश उर्फ पप्पू तिवारी उक्त का यह कार्य अपराध है। उचित धाराओं में अपराध पंजीकृत हेतु रिपोर्ट प्रेषित है।"

3. उपरोक्त आशय के प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली-टाण्डा की पुलिस द्वारा प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट मु०अ०सं०-31/2004 अन्तर्गत धारा-383, 386 व 506 भा०दं०सं०, थाना कोतवाली-टाण्डा, जनपद-अम्बेडकरनगर के रूप में पंजीकृत किया गया। न्यायालय के आदेश से संबंधित विवेचक द्वारा प्रकरण

में विवेचना प्रारम्भ की गयी। विवेचक ने मामले की विवेचना किया। दौरान विवेचना घटना स्थल का निरीक्षण किया तथा घटना स्थल का नक्शा नजरी तैयार किया। विवेचक ने गवाहान के बयान लिए तथा आवश्यक विवेचनोपरांत अभियुक्तगण चन्द्रिका प्रसाद, त्रिलोकी प्रसाद, दीपनारायन, हरेन्द्र प्रसाद व दिनेश तिवारी उर्फ पप्पू के विरूद्ध अन्तर्गत धारा-383, 386 व 506 भा०दं०सं० का मामला पाते हुए आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।

4. थाना स्थानीय की पुलिस द्वारा प्रेषित आरोप-पत्र पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया तथा अभियुक्तगण के विरूद्ध सम्मन आदि भेजे गये। अभियुक्तगण न्यायालय उपस्थित आये तथा अपने बंध-पत्र व जमानतनामें दाखिल किये, तदोपरान्त उन्हें धारा-207 दं०प्र०सं० के तहत नकलें प्रदान की गयी।

5. तत्पश्चात अभियुक्त दिनेश तिवारी उर्फ पप्पू के विरूद्ध दिनांक 28.10.2004 को धारा-384, 386 व 506 भा०दं०सं० एवं अभियुक्त त्रिलोकी प्रसाद के विरूद्ध दिनांक 17.02.2020 को धारा-384 सपठित धारा-34, 386 सपठित धारा-34 व 506 भा०दं०सं० तथा अभियुक्तगण चन्द्रिका प्रसाद, दीपनारायन व हरेन्द्र प्रसाद के विरूद्ध दिनांक 07.01.2023 को धारा-383, 386 व 506 भा०दं०सं० में आरोप विरचित किया गया, जिनसे अभियुक्तगण ने इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

6. पत्रावली में अभियुक्त दिनेश तिवारी उर्फ पप्पू की मृत्यु होने के कारण दिनांक 14.03.2022 को वाद कार्यवाही उसके विरूद्ध उपशमित की गयी। वर्तमान में प्रकरण में वाद की कार्यवाही अभियुक्तगण चन्द्रिका प्रसाद, त्रिलोकी प्रसाद, दीपनारायन व हरेन्द्र प्रसाद के विरूद्ध शेष है।

7. अभियोजन पक्ष ने अभियोजन कथानक के समर्थन में साक्षी पी०डब्लू० 1 राघवेन्द्र अग्रवाल, पी०डब्लू० 2 बृजराज अग्रवाल, पी०डब्लू० 3 युगल कृष्ण अग्रवाल, पी०डब्लू० 4 सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक विनोद कुमार यादव, पी०डब्लू० 5 सेवानिवृत्त निरीक्षक जबरूलहसन, पी०डब्लू० 6 सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक नागेन्द्र सिंह, पी०डब्लू० 7 उपनिरीक्षक अरविन्द कुमार पाण्डेय व पी०डब्लू० 8 जयप्रकाश यादव को न्यायालय के समक्ष सशपथ परीक्षित कराया।

8. अभियोजन प्रपत्रों में जबरूलहसन, एस.एस.आई. द्वारा की गयी लिखित तहरीर **प्रदर्श-क-1**, पूरक आरोप-पत्र **प्रदर्श-क-2**, नकल चिक **प्रदर्श-क-3**, कायमी जी०डी० **प्रदर्श-क-4**, प्रथम आरोप-पत्र **प्रदर्श-क-5** एवं नक्शा नजरी **प्रदर्श-क-6** एवं अन्य प्रपत्रों को प्रस्तुत किया गया है।

9. अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य संक्षेप में निम्नवत हैः-

पी०डब्लू० 1 राघवेन्द्र अग्रवाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में बयान

दिया है कि, "मेरे भाई बृजराज का अपहरण कौन किया था, मुझे जानकारी नहीं है। फिरौती में उस समय कितना रूपया मांगा गया था, इसकी भी मुझे जानकारी नहीं है। दिनांक 11.03.2004 को मैं अपने भाई बृजराज के साथ घर पर मौजूद था। किसी अभियुक्त को लेकर पुलिस वाले मेरे भाई बृजलाल के घर नहीं आये थे। इस घटना के बावत पुलिस वाले मेरा बयान नहीं लिये थे। दिनांक 22.03.2004 को कोई पुलिस वाला किसी अभियुक्त को लेकर मेरे भाई बृजराज के साथ घर नहीं आया था। मैं उस दिन भी बृजलाल के साथ घर पर मौजूद था। अभियोजन ने साक्षी को पक्षद्रोही ही घोषित कराया।"

10. उक्त साक्षी द्वारा अभियोजन की ओर से जिरह करने पर कथन किया गया कि, "मेरे मोहल्ले में मेरे नाम व बल्दियत का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। मेरे भाई बृजराज के अपहरण के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मेरे भाई बृजराज कुछ दिन के लिए कहीं बाहर गये थे। मैं और मेरे भाई बृजराज एक ही साथ घर पर रहते हैं। साक्षी से रंगदारी दस हजार व पचास हजार के बारे में पूँछा गया तो उसने कहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। दरोगा जी ने कैसे मेरे बयान में लिख दिया, मैं नहीं बता सकता। दरोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था। साक्षी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा-161 दं०प्र०सं० से इन्कार किया तथा कहा कि यह बयान मैंने दरोगा जी को नहीं दिया था। यह कहना गलत है कि मैं अभियुक्तगण को लाभ पहुँचाने के लिए उनके दबाव में सही बात नहीं बता रहा हूँ।"

11. **पी०डब्लू० 2 बृजराज** ने अपनी मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि, "मेरा अपहरण किसने किया था और किसके द्वारा फिरौती में क्या मांगा गया था, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। मेरा अपहरण किस तिथि को हुआ था, इसकी भी मुझे जानकारी नहीं है। पुलिस वाले किसी व्यक्ति को लेकर मेरे घर नहीं आये थे। पुलिस वाले दिनेश तिवारी व पप्पू को मेरे यहाँ लेकर कभी नहीं आये थे और न ही मुझे भय में डालकर किसी ने मुझसे पैसे की मांग ही किया था तथा न ही मुझे किसी प्रकार की कोई धमकी ही दी गयी थी। मैं दिनेश तिवारी व पप्पू को न तो पहले से कभी जानता था और न ही कभी उनसे मिला था। अभियुक्तगण चन्द्रिका प्रसाद, दीपनरायन, त्रिलोकी व हरेन्द्र प्रसाद मेरे घर पर नहीं आये थे और न ही इन लोगों को मैं पहले से जानता-पहचानता था। अभियुक्तगण उपरोक्त दिनेश तिवारी व पप्पू को लेकर मेरे पास कभी नहीं आये और न ही मैंने उन्हें कोई रूपया दिया था। दरोगा जी मेरा कोई बयान नहीं लिये थे। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।"

12. उक्त साक्षी द्वारा अभियोजन की ओर से जिरह करने पर कथन किया गया कि, "राघवेन्द्र अग्रवाल उर्फ गुड्डू मेरे सगे भाई है और मैं उन्हीं के साथ

रहता हूँ। मैं कही गया हुआ था। मेरा कोई अपहरण नहीं हुआ था। अभियुक्तगण चन्द्रिका प्रसाद, दीपनरायन, त्रिलोकी व हरेन्द्र प्रसाद अभियुक्तगण दिनेश तिवारी व पप्पू को लेकर मेरे यहाँ नहीं आये थे और न ही कोई पैसे की मांग किये थे। मैं अभियुक्तगण को पहले से नहीं जानता था। रंगदारी मांगने व देने के संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है तथा रंगदारी मांगने के संबंध में अभियुक्तगण ने मुझे कोई धमकी नहीं दिया था और न ही मैंने दस हजार रूपया दिया था। साक्षी को उसका बयान अन्तर्गत धारा-161 दं०प्र०सं० पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने अपने बयान से इन्कार किया तथा कहा कि मैंने दरोगा जी को ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। मैं आज बिना किसी भय या दबाव के न्यायालय में बयान दे रहा हूँ। यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण के दबाव व भय के कारण मैं आज न्यायालय में सही बात नहीं बता रहा हूँ।"

13. उक्त साक्षी द्वारा बचाव पक्ष की ओर से जिरह करने पर कथन किया गया कि, "इस मुकदमे में पुलिस वालों ने मेरे साथ जिस तरह से हुयी घटना दिखायी है, वह मनगढ़ंत व असत्य है।"

14. **पी०डब्लू० 3 जुगल कृष्ण अग्रवाल उर्फ युगल** ने अपनी मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि, "दिनांक 22.03.2004 को मैं अपनी दुकान पर जो बंसल स्पाट के नाम से जानी जाती है, समय करीब 09:30-10:00 बजे मौजूद था। उस दौरान मैंने किसी को भी बृजराज के घर मोटर साइकिल से आते-जाते नहीं देखा था। मैं जिस मुकदमे में आज गवाही देने आया हूँ, उसके बारे में कुछ नहीं जानता। पुलिस वाले मुझसे मेरे बयान नहीं लिये थे। उन्होंने मेरा बयान कैसे लिख लिया, मैं नहीं बता सकता। मैंने वहाँ पर दो सिपाहियों व अभियुक्त पप्पू उर्फ दिनेश तिवारी को मेरे पड़ोसी बृजराज के घर पर नहीं देखा था। साक्षी को इस स्तर पर पक्षद्रोही घोषित किया गया।"

15. उक्त साक्षी द्वारा अभियोजन की ओर से जिरह करने पर कथन किया गया कि, "जिस मुकदमे में मैं आज गवाही देने न्यायालय आया हूँ, उस मुकदमे के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं अभियुक्तगण चन्द्रिका प्रसाद, त्रिलोकी प्रसाद, दीपनरायन व हरेन्द्र तथा पप्पू उर्फ दिनेश तिवारी को मैं पहले से जानता-पहचानता नहीं हूँ। उन लोगों के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। उक्त लोगों द्वारा फिरौती मांगने व जान से मारने की धमकी दिये जाने के अपराध के बारे में भी मुझे कोई जानकारी नहीं है। किसने किससे फिरौती मांगी तथा जान से मारने की धमकी दिया और किसने किससे क्या लिया-दिया, मुझे कोई जानकारी नहीं है। साक्षी को बयान अन्तर्गत धारा-161 दं०प्र०सं० पढ़कर सुनाया गया तो उसने कहा कि मैंने दरोगा जी को ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। उन्होंने मेरा यह बयान

कैसे लिख लिया, मैं नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि जिस मुकदमे में मैं आज गवाही देने आया हूँ, उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। यह कहना गलत है कि भय व दबाव के कारण अभियुक्तगण चन्द्रिका, त्रिलोकी, दीपनरायन, हरेन्द्र व पप्पू उर्फ दिनेश तिवारी को बचाने के लिए आज न्यायालय में झूठी गवाही दे रहा हूँ।"

16. **पी०डब्लू० 4 विनोद कुमार यादव सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक** ने अपनी मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि, "दिनांक 22.03.2004 को मैं प्रभारी निरीक्षक, थाना कोतवाली-टाण्डा के पद पर नियुक्त था। दिनांक 22.03.2004 को मैं क्षेत्र भ्रमण में था कि सुबह 09:30 बजे सूचना मिली कि शातिर बदमाश दिनेश तिवारी उर्फ पप्पू दो पुलिस के साथ बृजराज अग्रवाल के चौक स्थित दुकान/मकान पर आया है, धमका रहा है तथा पैसा मांग रहा है। मोहल्ले के काफी लोग इकट्ठा हो गये हैं। इस सूचना पर मैं तत्काल चौक स्थित बृजराज अग्रवाल के घर/दुकान पर पहुँचा। लोगों से पूँछताछ किया। अभियुक्त दिनेश तिवारी मोटर साइकिल नं०-4GM1038 से दो सिपाहियों के साथ आया था। दिनेश के विरूद्ध कोतवाली-अकबरपुर में मु०अ०सं०-135/2001 अन्तर्गत धारा-368, 364ए., 411 व 120बी. भा०दं०सं० पंजीकृत है। अभियुक्त दिनेश तिवारी बस्ती कारागार से अम्बेडकरनगर पेशी पर आया था। बस्ती के सिपाहियों का नाम पता किया गया तो पता चला कि त्रिलोकी प्रसाद सोनी, थाना-गौर एवं कांस्टेबल चन्द्रिका प्रसाद अभिरक्षा में लेकर आये थे। अभियुक्त दिनेश तिवारी ने दोनों सिपाहियों के साथ अवैध वसूली के लिए दबाव बनाया है। जनता का रूख देखकर दिनेश तिवारी सिपाहियों के साथ भाग गया। इसी प्रकार दिनांक 11.03.2004 को भी कांस्टेबल दीपनरायन प्रसाद व कांस्टेबल हरेन्द्र प्रसाद जनपद-बस्ती, दिनेश तिवारी को लेकर आये थे और दस हजार रूपये वसूली किया था। उसी क्रम में दिनांक 22.03.2004 को भी आये थे। इसकी सूचना मेरे द्वारा थाना टाण्डा के रोजनामचा आम में अंकित किया गया। आपराधिक बीट होने के कारण इसकी जाँच एस०एस०आई० द्वारा करायी गयी। जाँच के पश्चात एस०एस०आई० के प्रार्थना पत्र पर मेरे द्वारा अभियोग पंजीकृत करने का आदेश दिया गया। तत्पश्चात मु०अ०सं०-31/2004 अन्तर्गत धारा-383, 386 व 506 भा०दं०सं० का पंजीकृत किया गया।"

17. उक्त साक्षी द्वारा बचाव पक्ष की ओर से जिरह करने पर कथन किया गया कि, "मुझे याद नहीं है कि अभियुक्त दिनेश तिवारी के बृजराज के घर होने की सूचना किसके द्वारा मिली थी। मैं उस समय क्षेत्र में था परन्तु कहाँ था, यह याद नहीं है। जब मैं बृजराज के घर पहुँचा तो दोनों सिपाही अभियुक्त दिनेश

तिवारी को लेकर वहाँ मौजूद नहीं थे। मुझे याद नहीं है कि मैंने मौके पर किन-किन लोगों से पूँछताछ किया था। मैंने उनका नाम विवेचक को भी अपने बयान अन्तर्गत धारा-161 दं०प्र०सं० में नहीं बताया था। मोटर साइकिल का नम्बर मुझे किस व्यक्ति ने बताया था, यह भी याद नहीं है। दोनों सिपाहियों का नाम दिनांक 22.03.2004 को उनके द्वारा पेशी पर अम्बेडकरनगर आने के कारण पता चला था। मौके पर मौजूद जनता के लोगों में से जिससे मैंने पूँछताछ किया था, उनका नाम मैं नहीं बता सकता। दिनांक 11.03.2004 को कां० दीपनरायन व कां० हरेन्द्र यादव तथा अभियुक्त दिनेश तिवारी द्वारा बृजराज अग्रवाल से दस हजार रूपया वसूल किये जाने के बावत बृजराज अग्रवाल ने कोई शिकायत या प्रार्थना पत्र थाना कोतवाली-टाण्डा में नहीं दिया था। दिनांक 22.03.2004 व दिनांक 11.03.2004 की घटना के संबंध में बृजराज अग्रवाल व उनके किसी सगे संबंधी ने कोई शिकायत या प्रार्थना पत्र थाने पर नहीं दिया था। मैंने इस प्रकरण से संबंधित आपराधिक सूचना की जाँच एस०एस०आई० श्री जबरूलहसन को दिया था। घटना के समय मैं प्रभारी निरीक्षक, थाना कोतवाली-टाण्डा के पद पर तैनात था। यह कहना गलत है कि दिनांक 22.03.2004 को जब कांस्टेबल चन्द्रिका प्रसाद व कांस्टेबल त्रिलोकी प्रसाद सोनी अभियुक्त दिनेश तिवारी को माझा क्षेत्र से कलवारी सरयू पुल के पास पहुँचे तो मैंने अपने हमराही सिपाहियों के साथ उन्हें रोका और कहा कि अभियुक्त को हमें दे दों, इनका काम तमाम करना है, ऊपर से दबाव है तथा अभियुक्त के भाग जाने की सूचना थाने पर दे दों। यह भी कहना गलत है कि कां० चन्द्रिका प्रसाद व कां० त्रिलोकी प्रसाद द्वारा अभियुक्त को मुझे न दिये जाने पर मेरे द्वारा उन्हें धमकी दी गयी कि मैं तुम दोनों का जीवन बर्वाद कर दूँगा क्योंकि तुम लोग मेरी बात नहीं मान रहे हों। यह भी कहना गलत है कि उपरोक्त रंजिश के कारण में चारों सिपाहियों व अभियुक्त दिनेश तिवारी के विरूद्ध दिनांक 22.03.2004 व 11.03.2004 की झूठी घटना दिखाकर व फर्जी कहानी बनाकर अपने मातहत एस०एस०आई० से जाँच कराकर उनसे प्रार्थना पत्र लिया। यह कहना सही है कि उस प्रार्थना पत्र पर मैंने अभियोग पंजीकृत करने का आदेश पारित किया था। इस मुकदमे के विवेचक इल्ताफ हुसैन जो मेरे अधीनस्थ थे। यह कहना गलत है कि इल्ताफ हुसैन पर दबाव डालकर मैंने अभियुक्त दिनेश तिवारी के विरूद्ध तथा चारों सिपाहियों के विरूद्ध झूठा आरोप-पत्र लगवा दिया। यह भी कहना गलत है कि मैं बृजराज अग्रवाल के घर के आसपास के लोगों से घटना के संबंध में पूँछताछ नहीं किया था। यह भी कहना गलत है कि कथित दिनांक को कोई घटना नहीं हुयी थी।"

18. **पी०डब्लू० 5 जबरूलहसन सेवानिवृत्त निरीक्षक** ने अपनी मुख्य

परीक्षा में बयान दिया है कि, "प्रभारी निरीक्षक श्री विनोद कुमार यादव द्वारा अंकित करायी गयी बीट सूचना जी०डी० सं०-1205 दिनांक 22.03.2004 की जाँच मेरे द्वारा की गयी थी। जाँच में मेरे द्वारा यह तथ्य पाया गया कि अभियुक्त दिनेश तिवारी उर्फ पप्पू मु०अ०सं०-135/2001 धारा-368, 364ए., 411 व 120बी. भा०दं०सं०, थाना कोतवाली-अकबरपुर के प्रकरण में निरूद्ध होते हुए दिनांक 22.03.2004 को न्यायालय में पेशी के समय अभिरक्षा में समय करीब 09:30 बजे सुबह सियाराम मनोहर लाल फर्म के मालिक श्री बृजराज के आवास पर पहुँचे और धमकाते हुए रूपयों की मांग की। बृजराज ने इस बात की सूचना अपने संबंधियों को जरिये टेलीफोन दिया था, जिससे व्यापारी वर्ग में आक्रोश हुआ और घेराव की मुद्रा में आये। इस स्थिति को देखते हुए आरक्षीगण मुल्जिम को लेकर पेशी पर चले गये। अभियुक्तगण दिनेश तिवारी उर्फ पप्पू को कांस्टेबल चन्द्रिका प्रसाद व त्रिलोकी प्रसाद, बस्ती जनपद से पेशी के लिए लेकर आये थे। मेरी जाँच में यह भी पता चला था कि दिनांक 11.03.2004 को भी उक्त अभियुक्त बृजराज से दस हजार रूपये की वसूली धमकी देकर कर चुके हैं। उक्त दोनों घटना की सूचना पीड़ित बृजराज द्वारा स्थानीय पुलिस को डरवश नहीं दी गयी। उनके रिश्तेदारों द्वारा प्रभारी महोदय को सूचना दी गयी थी जिसके पश्चात प्रभारी महोदय द्वारा बीट सूचना अंकित करायी गयी थी। जाँच के दौरान मैंने बृजराज व उनके भाई राघवेन्द्र से पूँछताछ की थी। जिन्होंने तथ्यों को स्वीकार किया था परन्तु डरवश मुकदमा लिखाने में असमर्थता व्यक्त की थी। बीट सूचना में अंकित तथ्यों के सही पाये जाने पर मैंने तहरीर देकर मुकदमा लिखाया था। शामिल पत्रावली तहरीर मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर **प्रदर्श-क-1** डाला गया।"

19. उक्त साक्षी द्वारा बचाव पक्ष की ओर से जिरह करने पर कथन किया गया कि, "इस मुकदमे के बावत आपराधिक बीट तत्कालीन कोतवाली विनोद यादव ने कोतवाली टाण्डा में जी०डी० में दर्ज की थी। आपराधिक बीट होने की वजह से इसकी जाँच मुझे सुपुर्द किया था। उस समय मैं एस०एस०आई० के पद पर थाना कोतवाली-टाण्डा में तैनात था। दिनांक 11.03.2004 को अभियुक्त दिनेश तिवारी को बस्ती जेल से कौन-कौन से सिपाही लेकर आये थे, उनका नाम मैंने तहरीर में नहीं लिखाया था और न ही जाँच में उन दोनों सिपाहियों का नाम मुझे पता चल पाया था। दिनांक 22.03.2004 को अभियुक्त दिनेश तिवारी को बस्ती जेल से जो सिपाही न्यायालय लेकर आये थे, उनका नाम चन्द्रिका प्रसाद व त्रिलोकी प्रसाद है। उन दोनों सिपाहियों तथा दिनेश तिवारी का नाम मुझे पीड़ित पक्ष ने बताया था। मुझे पीड़ित पक्ष बृजराज अग्रवाल द्वारा दोनों सिपाहियों चन्द्रिका प्रसाद व त्रिलोकी प्रसाद तथा अभियुक्त दिनेश तिवारी का नाम बताया

गया था, इस बात का उल्लेख मैंने अपनी जाँच रिपोर्ट/तहरीर में नहीं किया है। मैंने अपनी जाँच रिपोर्ट/तहरीर प्रदर्श-क-1 में दिनांक 11.03.2004 को दो सिपाहियों द्वारा अभियुक्त दिनेश तिवारी को अभिरक्षा में लाकर बृजराज से धमकी देकर दस हजार रूपये धन उगाही का कथन किया है। यह जानकारी मुझे पीड़ित बृजराज या किससे मिली, उसका नाम अपनी तहरीर में नहीं लिखाया है। मैंने अपनी पूरी तहरीर में इस बात का कहीं भी उल्लेख नहीं किया है कि बृजराज के साथ घटित दोनों तिथियों की घटनाएँ बृजराज या उनके भाई या किसने मुझे बताया, उनका नाम तहरीर में नहीं लिखा है। मैं अभियुक्त दिनेश तिवारी को दोनों तिथियों पर लाने वाले दोनों सिपाहियों का नाम जानने स्वयं जनपद न्यायालय नहीं आया था। मैंने दौरान विवेचना विवेचक को यह नहीं बताया था कि बृजराज अग्रवाल व उनके भाई या स्थानीय लोगों ने हमें घटना के बारे में बताया था या नहीं, यह कहना गलत है। अगर मेरे बयान में विवेचक ने उक्त बाते नहीं लिखी हो तो मैं इसकी वजह नहीं बता सकता। विवेचक ने एफ०आई०आर० दर्ज होने के दिन ही थाने पर मेरा बयान लिया था। घटना के समय विवेचक सबइंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे। मैं उस समय एस०एस०आई० था और उनसे वरिष्ठ था। जब थाने पर प्रभारी नहीं रहते थे तो थाने का चार्ज मुझे मिलता था। इस तरह इस मुकदमे के विवेचक मेरे मातहत थे। विवेचक को मेरा बयान लेने में 10-15 मिनट का समय लगा था। जब विवेचक ने मेरा बयान लिया था, उस समय कोतवाली साहब राउण्ड पर थे। मैंने अपनी मुख्य परीक्षा में यह बयान दिया है कि पीड़ित पक्ष के रिश्तेदारों द्वारा प्रभारी महोदय को सूचना दी गयी थी, जिनका नाम राघवेन्द्र है परन्तु उनका नाम न तो मैंने अपनी मुख्य परीक्षा में बताया है और न ही जाँच रिपोर्ट/तहरीर में बताया है। मैं आज उनका नाम पहली बार न्यायालय में बता रहा हूँ। इस मुकदमे में आपराधिक बीट सूचना कोतवाल साहब ने दिन में 12:00 बजे दर्ज करायी थी। दिनांक 22.03.2004 को मैं कोतवाल साहब के साथ घटना स्थल पर नहीं गया था। जब बीट सूचना दर्ज हुयी, तब उसकी जाँच में गया था और मौके पर लगभग एक बजे पहुँचा था। यह कहना गलत है कि मैंने घटना की सत्यता के बावत कोई जाँच पड़ताल नहीं किया था और कोतवाल साहब के कहने पर यह मुकदमा अंकित करा दिया है। यह कहना गलत है कि अभियुक्त दिनांक 22.03.2004 को सुबह 9-10 बजे के मध्य मैं, कोतवाल साहब व हमराही सिपाही थिरूआ पुल पर दोनों सिपाहियों को रोककर कहा कि अभियुक्त को मुझे दे दो और टाण्डा जाकर अभियुक्त के भागने की सूचना दो, इसका काम तमाम करना है। यह भी कहना गलत है कि दोनों सिपाहियों ने अभियुक्त दिनेश तिवारी को हम लोगों को सौंपने से इन्कार किया, इसी वजह से कोतवाल साहब ने षड़यंत्र के तहत

मुझसे जाँच रिपोर्ट/तहरीर लिखवाकर थाना-टाण्डा में इस मुकदमे की रिपोर्ट लिखवा दी। यह कहना सही है कि इस मुकदमे में पीड़ित बृजराज अग्रवाल ने इस घटना के बावत थाने पर कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करायी है। यह भी कहना गलत है कि मैंने झूठी रिपोर्ट थाना टाण्डा में दर्ज करायी थी।"

20. **पी०डब्लू० 6 नागेन्द्र सिंह सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक** ने अपनी मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि, "दिनांक 26.05.2011 को मैं बतौर प्रभारी निरीक्षक, थाना कोतवाली-टाण्डा, जनपद-अम्बेडकरनगर में तैनात था। मु०अ०सं०-31/2004 अन्तर्गत धारा-383, 386 व 506 भा०दं०सं०, थाना कोतवाली-टाण्डा की विवेचना उस दिन मेरे द्वारा ग्रहण की गयी। इस अभियोग की विवेचना पूर्व विवेचकों द्वारा पूर्ण करके इस अभियोग में आरोप-पत्र सं०-A58 दिनांक 17.06.2014 को अभियुक्त दिनेश तिवारी उर्फ पप्पू के विरूद्ध प्रेषित किया जा चुका था। यह विवेचना पार्ट पेंडिंग के रूप में मुझे मिली थी। पूर्व पर्चों के अवलोकन से पाया गया कि इस मुकदमे के शेष अभियुक्त जो पुलिस कर्मचारी थे, कांस्टेबल चन्द्रिका प्रसाद, कांस्टेबल त्रिलोकी प्रसाद, कांस्टेबल दीपनरायन व कांस्टेबल हरेन्द्र प्रसाद के विरूद्ध आरोप-पत्र प्रेषित करना शेष था। जिनकी अभियोजन स्वीकृति लेने के उपरान्त आरोप-पत्र प्रेषित किया जाना था, जिसकी लिखा-पढ़ी पूर्व में प्रचलित थी। इस संबंध में मेरे द्वारा तत्कालीन ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी एवं डी०जी०सी० क्रिमिनल से मुकदमा उपरोक्त के संबंध में मौखिक वार्तालाप किया गया तो उन्होंने बताया कि उपरोक्त आरक्षीगण जो सरकारी कर्मचारी है, इनके द्वारा उपरोक्त किया गया वर्णित अपराध इनके पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में नहीं आता। इसमें अभियोजन स्वीकृति लेने की आवश्कता नहीं है। चूँकि वे आरक्षीगण सरकारी कर्मचारी थे। मुकदमा काफी पुराना था, अतः बिना गिरफ्तारी के ही उनके विरूद्ध आरोप-पत्र सं०-58A दिनांक 26.05.2011 को प्रेषित कर दिया गया था। प्रेषित आरोप-पत्र संलग्न पत्रावली है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसे मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श-क-2** डाला गया। आरोप-पत्र प्रेषित करने के उपरान्त उक्त पत्रावली समीक्षा हेतु पुनः थाने पर वापस आयी थी, जिसमें मैंने दिनांक 15.01.2012 को पर्चा तितिम्मा संख्या-58 प्रेषित किया था।"

21. उक्त साक्षी द्वारा बचाव पक्ष की ओर से जिरह करने पर कथन किया गया कि, "अभियुक्त दिनेश तिवारी के विरूद्ध विवेचक इल्ताफ अहमद ने आरोप-पत्र प्रेषित किया था। पुलिस के मुल्जिमान चन्द्रिका प्रसाद, त्रिलोकी प्रसाद, दीपनरायन व हरेन्द्र प्रसाद के विरूद्ध सरकारी कर्मचारी होने की वजह से अभियोजन स्वीकृति हेतु विवेचना प्रचलित थी। मेरे विवेचना ग्रहण करने से पूर्व कई विवेचक पूर्व में विवेचना इस मुकदमे की कर रहे थे, किन्तु इन चारों

मुल्जिमान पुलिस कर्मियों के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति न मिलने की वजह से आरोप-पत्र प्रेषित नहीं किये थे। इस मुकदमे की विवेचना मुझे दिनांक 26.05.2011 को मिली थी। उस समय मैं प्रभारी निरीक्षक, थाना कोतवाली-टाण्डा के पद पर तैनात था। मैंने इस मुकदमे में केवल दो पर्चे किता किया है। मैंने इस मुकदमे के पीड़ित/संबंधित गवाहान या पुलिस के चारों अभियुक्तगणों से कोई पूँछताछ नहीं किया था और न ही मैं पीड़ित पक्ष के घर ही गया था। चारों आरक्षियों के विरूद्ध जो विवेचना प्रचलित थी, उसमें पूर्व पर्चों का मैंने अवलोकन किया था, जिसमें मैंने पाया कि उनके विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति न मिलने के कारण पूर्व विवेचकों ने आरोप-पत्र प्रेषित नहीं किया था। मैंने इस मुकदमे की विवेचना ग्रहण करने के बाद चारों पुलिस आरक्षियों के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति हेतु पुलिस अधीक्षक, बस्ती, पुलिस हेड क्वार्टर इलाहाबाद/प्रयागराज या उ०प्र० सरकार को कोई पत्राचार नहीं किया था। मैंने इस मुकदमे में बिना अभियोजन स्वीकृति के आरोप-पत्र प्रेषित किया है। इस मुकदमे की एस.सी.डी.-57 दिनांक 26.05.2011 मेरे द्वारा लिखी गयी है। इस पर्चे में ऊपर से आठ लाइन नीचे "यह कार्य पूर्ण रूप से अपराध है" के ऊपर सफेदा लगा है और उसके ऊपर "पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में नहीं आता है" यह मैंने अपने हस्तलेख में लिखा है। यह कहना गलत है कि केस डायरी में प्रयुक्त इंक तथा सफेदा के ऊपर लिखे इंक में भिन्नता है। यह कहना गलत है कि मैंने जो सफेदा के ऊपर जिस इंक से लिखा है, वह दूसरी पेन की इंक है, जिसे मैंने बाद में बढ़ाया है। यह भी कहना गलत है कि जहाँ सफेदा लगा है, उसकी चौथी लाइन के ऊपर मौखिक शब्द बाद में लिखा गया है। मैंने तत्कालीन डी०जी०सी० क्रिमिनल, अम्बेडकरनगर तथा तत्कालीन एस०पी०ओ०, अम्बेडकरनगर से मौखिक राय लिया था परन्तु उन दोनों का नाम मुझे इस समय याद नहीं है। धारा-383 भा०दं०सं० में जो मैंने आरोप-पत्र लगाया है, धारा-383 भा०दं०सं० धमका कर पैसा लेने व उद्यापन से संबंधित है। धारा-383 भा०दं०सं० में सजा का प्रावधान है। पीड़ित बृजराज अग्रवाल द्वारा पुलिस कर्मियों पर जबरन पैसा मांगने, धमकाने आदि का आरोप नहीं लगाया गया है। इस मुकदमे में मेरे द्वारा आरोप-पत्र प्रेषित करने के बाद सी०ओ० साहब ने फाइनल समीक्षा के लिए पुनः मेरे पास भेजा था, तब हमने दिनांक 15.01.2012 को पर्चा सं०-58 इस आशय का किता किया कि इसमें पहले भी पूर्व विवेचक द्वारा अनावश्यक विलम्ब किया जा चुका है। इसमें धारा-197 दं०प्र०सं० का लाभ मुल्जिमानों को नहीं मिल सकता। इस आशय का पर्चा प्रेषित कर विवेचना समाप्त कर दिया। मैंने इस मुकदमे में पूर्व विवेचकों द्वारा की गयी विवेचना के आधार पर आरोप-पत्र प्रेषित किया है। इसके अतिरिक्त किसी गवाह का बयान आदि कोई

कार्यवाही मेरे द्वारा नहीं की गयी है।"

22. **पी०डब्लू० 7 अरविन्द कुमार पाण्डेय उपनिरीक्षक** ने अपनी मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि, "मैं दिनांक 23.03.2004 को थाना कोतवाली-टाण्डा, जिला-अम्बेडकरनगर में हेड मोहर्रिर के पद पर तैनात था। एस०एस०आई० श्री जबरूलहसन की तहरीर पर मु०अ०सं०-31/2004 अन्तर्गत धारा-383, 386 व 506 भा०दं०सं० पंजीकृत मेरे द्वारा किया गया था। नकल चिक व जी०डी० कायमी मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर **प्रदर्श-क-3** व **प्रदर्श-क-4** डाला गया। विवेचक द्वारा मेरा बयान लिया गया था। मेरी नियुक्ति के दौरान विवेचक एस०आई० इल्ताफ हुसैन भी थाना कोतवाली-टाण्डा में तैनात थे। मैंने उन्हें लिखते-पढ़ते देखा था। उनके हस्तलेख व हस्ताक्षर पहचानता हूँ। प्रस्तुत अभियोग में विवेचक इल्ताफ हुसैन ने विवेचना किया था। अभियोग में प्रथम आरोप-पत्र दिनांक 17.06.2004 को इल्ताफ हुसैन द्वारा किता किया गया था। नक्शा नजरी भी उन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था, जो शामिल पत्रावली है। आरोप-पत्र व नक्शा नजरी जो इल्ताफ हुसैन द्वारा किता किया गया है, उसे मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श-क-5** व **प्रदर्श-क-6** डाला गया।"

23. उक्त साक्षी द्वारा बचाव पक्ष की ओर से जिरह करने पर कथन किया गया कि, "इस मुकदे की चिक व जी०डी० दोनों मैंने किता किया है। इस मुकदमे की चिक मैंने दिनांक 23.03.2004 को 14:10 बजे किता किया है। चिक किता करने में मुझे लगभग 30 मिनट का समय लगा होगा। चिक दूसरे दिन सी०ओ० कार्यालय भेजी जाती है। चिक किता करने के बाद मैंने मुकदमे का खुलासा जी०डी० में किया था। जी०डी० लिखने का भी समय मैंने 14:10 बजे ही अंकित किया है। चिक और जी०डी० दोनों एक साथ लिखा जाना संभव है। तहरीर के आधार पर ही मुकदमे में धारा लगायी जाती है। तहरीर के आधार पर ही उक्त मुकदमा धारा-383, 386 व 506 भा०दं०सं० में पंजीकृत किया है। धारा-383 भा०दं०सं० में कितनी सजा है, मुझे याद नहीं है। मैंने एस०एस०आई० जबरूलहसन के कहने पर ही इस मुकदमे में धाराएँ लगायी है। तहरीर के अवलोकन से धारा-506 भा०दं०सं० का आरोप साबित है। धारा-386 भा०दं०सं० तब लगती है, जब धमकी देकर पैसा मांगा जाता है। इस मुकदमे में एस०एस०आई० जबरूलहसन व कोतवाल साबह ने जो धारा लगाने को कहा था, वहीं धाराएँ मैंने लगायी थी। धारा लगाने वाली बात उक्त दोनों लोगों ने मौखिक रूप से कहा था। इस मुकदमे में विवेचक ने मुकदमा कायमी के दिन ही मेरा बयान थाने में लिया था। यह कहना सही है कि इस मुकदमे की चिक आदि की कार्यवाही मैंने कोतवाल विनोद यादव व एस०एस०आई० जबरूलहसन के कहने पर किया था।"

24. **पी०डब्लू० 8 जयप्रकाश यादव** ने अपनी मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि, "दिनांक 16.06.2009 को बतौर उपनिरीक्षक, थाना कोतवाली-टाण्डा में नियुक्त था। दिनांक 16.06.2009 को उपनिरीक्षक श्याम लाल से मु०अ०सं०-31/2004 धारा-383 व 506 भा०दं०सं० की विवेचना मेरे द्वारा ग्रहण की गयी। जिसके अनुसार मेरे द्वारा पूर्व किता केस डायरी का अवलोकन किया गया तथा एस०सी०डी० पर्चा सं०-22 दिनांक 16.06.2009 को किता किया गया। दिनांक 23.06.2009 को मेरे द्वारा एस०सी०डी० पर्चा सं०-23 किता किया गया। जिसमें पुलिस अधीक्षक, बस्ती जरिये पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकरनगर अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृत प्राप्त करने हेतु पत्राचार किया गया। दिनांक 18.07.2009 को पर्चा एस०सी०डी०-24 किता किया गया। जिसमें अभियोजन स्वीकृत हेतु पुलिस अधीक्षक, बस्ती को पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकरनगर द्वारा भेजे गये पत्र का अवलोकन किया गया है। दिनांक 17.10.2009 को पर्चा एस०सी०डी०-25 किता किया गया है, जिसमें अभियोजन स्वीकृत हेतु रिमाइण्डर भेजा गया है। दिनांक 07.11.2009 को पर्चा एस०सी०डी०-26 किता किया गया है, जिसमें पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकरनगर द्वारा पुलिस अधीक्षक, बस्ती को भेजे गये पत्र का अवलोकन किया गया है। दिनांक 10.12.2009 को पर्चा एस०सी०डी०-27 किता किया गया है, जिसमें पुलिस अधीक्षक, बस्ती के समक्ष उपस्थित होने हेतु पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकरनगर को पत्राचार किया गया है। दिनांक 17.12.2009 को पर्चा एस०सी०डी०-28 किता किया गया है, जिसमें पुलिस अधीक्षक, बस्ती के समक्ष उपस्थित होकर अभियोजन स्वीकृत के संबंध में वार्ता की गयी है। दिनांक 24.01.2010 को एस०सी०डी० पर्चा सं०-29 किता किया गया है, जिसमें पुलिस अधीक्षक, बस्ती को जरिये पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकरनगर अभियोजन स्वीकृत हेतु पत्राचार किया गया है। दिनांक 27.02.2010 को एस०सी०डी० पर्चा सं०-30 जिसमें पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकरनगर द्वारा पुलिस अधीक्षक, बस्ती को अभियोजन स्वीकृत हेतु पत्राचार किया गया है। दिनांक 09.05.2010 को पर्चा एस०सी०डी०-31 किता किया गया है, जिसमें अभियोजन स्वीकृत हेतु पुनः रिमाइण्डर प्रेषित किया गया है। दिनांक 24.05.2010 को पर्चा एस०सी०डी०-32 किता किया गया है, जिसमें अभियोजन स्वीकृत श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, बस्ती के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरण के संबंध में अवगत कराया गया है। दिनांक 11.07.2010 को पर्चा एस०सी०डी०-33 किता किया गया है, जिसमें अभियोजन स्वीकृत हेतु पुलिस अधीक्षक, बस्ती को पत्राचार करने हेतु पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकरनगर को पत्राचार किया गया है। इसके उपरान्त मेरा स्थानांतरण बतौर थानाध्यक्ष-बेवाना पद पर हो गया।"

25. उक्त साक्षी द्वारा बचाव पक्ष की ओर से जिरह करने पर कथन किया गया कि, "इस मुकदमे के चारों मुल्जिमान पुलिस कांस्टेबल है। इन चारों मुल्जिमानों के लोक सेवक होने के वजह से अभियोजन स्वीकृत हेतु विवेचना प्रचलित थी। इस मुकदमे के मुख्य अभियुक्त दिनेश तिवारी के विरूद्ध पूर्व विवेचक इल्ताफ हुसैन ने दिनांक 17.06.2004 को आरोप-पत्र प्रेषित कर दिया था और इस मुकदमे के चारों मुल्जिमानों के विरूद्ध विवेचना प्रचलित थी। मैंने उपनिरीक्षक श्याम लाल से विवेचना ग्रहण की थी। मैंने विवेचना शुरू करते समय पूर्व के विवेचकों के सारे पर्चों का अवलोकन किया था। पूर्व के सभी विवेचकों ने मुल्जिमानों के अभियोजन स्वीकृत हेतु लिखा-पढ़ी की थी और प्रयास किया था। पूर्व विवेचकों ने जो मुझसे पहले विवेचना किये थे, उन लोगों ने किसी गवाह का बयान अंकित नहीं किया था। मैंने भी अपनी विवेचना में किसी गवाह का बयान अंकित नहीं किया है। मैंने भी अपनी विवेचना में इन चारों लोक सेवक कांस्टेबलों के अभियोजन स्वीकृत हेतु उच्चाधिकारियों को लिखा-पढ़ी किया और अभियोजन स्वीकृत हेतु पुलिस अधीक्षक, बस्ती से भी मिला था। पुलिस अधीक्षक, बस्ती ने मुकदमा स्वयं चलाये जाने हेतु कोई स्वीकृत प्रदान नहीं किया था। जब तक मैं इस मुकदमे का विवेचक था, तब तक शासन स्तर से, पुलिस मुख्यालय से या पुलिस अधीक्षक से इन चारों मुल्जिमानों के विरूद्ध अभियोग चलाये जाने हेतु स्वीकृत नहीं मिली थी। यह मुकदमा थाना कोतवाली-टाण्डा में कायम हुआ था। इसलिए अभियोजन स्वीकृत हेतु सारे पत्र पुलिस अधीक्षक, बस्ती व अन्य सारे जगहों पर भेजे गये। इन चारों सिपाहियों के सरकारी कर्मचारी होने व लोक सेवक होने की वजह से व अभियोजन स्वीकृत पुलिस अधीक्षक, पुलिस मुख्यालय व शासन स्तर से न मिलने के कारण इन चारों मुल्जिमानों के विरूद्ध मेरे द्वारा आरोप-पत्र नहीं प्रेषित किया गया। क्योंकि इसके बाद मेरा स्थानांतरण हो गया और विवेचना दूसरे विवेचक को मिल गया।"

26. अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा-313 दं०प्र०सं० दिनांक 20.10.2023 को अंकित किये गये, जिसमें अभियोजन कथानक को गलत बताते हुए प्रकरण में परीक्षित साक्षीगण द्वारा गलत बयान दिया जाना बताया गया, मुकदमा रंजिशन चलना बताया गया तथा सफाई साक्ष्य देने से इन्कार किया है।

27. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान अभियोजन अधिकारी की तर्कपूर्ण बहस को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

निष्कर्ष

28. प्रस्तुत प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या दिनांक 11.03.2004 को समय अदम तहरीर बहद स्थान मोहल्ला चौक हयातगंज, थाना

कोतवाली-टाण्डा, जनपद-अम्बेडकरनगर में अभियुक्त दिनेश तिवारी उर्फ पप्पू के साथ मिलकर अन्य अभियुक्तगण ने बृजराज को धमकी देकर मु० 10,000/- रूपये उगाही किया एवं दिनांक 22.03.2004 को समय 09:30 बजे उक्त स्थान पर अभियुक्त दिनेश तिवारी उर्फ पप्पू के साथ मिलकर अन्य अभियुक्तगण ने बृजराज को उपहति के भय में डालकर पैसों की उगाही हेतु धमकी दिया तथा अभियुक्तगण द्वारा बृजराज को जान से मारने की धमकी दी गयी? अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप को युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है।

29. अभियोजन पक्ष का तर्क है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित होता है और अभियुक्तगण अधिक से अधिक दण्ड से दण्डित किया जाये।

30. विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष का कहना है कि तथ्य के किसी साक्षीगण द्वारा घटनाक्रम का समर्थन नहीं किया गया है तथा साक्षीगण के साक्ष्य से भी अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप किसी प्रकार से साबित नहीं होते हैं। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाना कहा गया।

31. भारतीय दंड संहिता की धारा-383 के अनुसार, जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षति करने के भय में साशय डालता है और तद्द्वारा इस प्रकार भय में डाले गये व्यक्ति को कोई सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके, किसी व्यक्ति को परिदत्त करने के लिये बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, वह "उद्दापन" करता है।

32. भारतीय दंड संहिता की धारा-384 के अनुसार, जो कोई उद्दापन करेगा वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

33. भारतीय दंड संहिता की धारा-386 के अनुसार, जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालकर उद्दापन करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

34. भारतीय दंड संहिता की धारा-506 के अनुसार, जो कोई भी आपराधिक

धमकी का अपराध करता है तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है या अर्थदंड या दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है। यदि धमकी मृत्यु या गंभीर चोट आदि के लिए है और यदि धमकी मौत या गंभीर चोट पहुंचाने या आग से किसी संपत्ति का विनाश कारित करने के लिए या मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध कारित करने के लिए या सात वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध कारित करने के लिए या किसी महिला पर अपवित्रता का आरोप लगाने के लिए हो तो अपराधी को किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है या अर्थदंड या दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है।

35. प्रस्तुत प्रकरण में मुख्यतः यह आरोप है कि अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 11.03.2004 को प्रकरण के पीड़ित बृजराज के घर से उसे धमकी देकर दस हजार रूपये की वसूली की गयी एवं अन्य दिनांक 22.03.2004 को समय 09:30 बजे घोर उपहति के भय में डालकर बृजराज को ही वसूली हेतु धमकी दी गयी व जान से मारने की धमकी दी गयी।

36. अभियोजन कथानक को सिद्ध करने हेतु अभियोजन द्वारा घटना के चक्षुचर्शी/मुख्य साक्षी के रूप में राघवेन्द्र अग्रवाल को परीक्षित कराया गया है, जो कि पीड़ित बृजराज का सगा सम्बन्धी है एवं अभियोजन के अनुसार घटना वाले दिन वह मौके पर बृजराज के साथ मौजूद था। साक्षी पी०डब्लू० 1 राघवेन्द्र अग्रवाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में बयान किया कि, "मेरे भाई बृजराज का अपहरण कौन किया था, मुझे जानकारी नहीं है। फिरौती में उस समय कितना रूपया मांगा गया था, इसकी भी मुझे जानकारी नहीं है। दिनांक 11.03.2004 को मैं अपने भाई बृजराज के साथ घर पर मौजूद था। किसी अभियुक्त को लेकर पुलिस वाले मेरे भाई बृजलाल के घर नहीं आये थे। इस घटना के बावत पुलिस वाले मेरा बयान नहीं लिये थे। दिनांक 22.03.2004 को कोई पुलिस वाला किसी अभियुक्त को लेकर मेरे भाई बृजराज के साथ घर नहीं आया था। मैं उस दिन भी बृजलाल के साथ घर पर मौजूद था।"

37. उक्त साक्षी द्वारा जिरह में कथन किया गया कि, "मेरे मोहल्ले में मेरे नाम व बल्दियत का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। मेरे भाई बृजराज के अपहरण के

बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मेरे भाई बृजराज कुछ दिन के लिए कहीं बाहर गये थे। मैं और मेरे भाई बृजराज एक ही साथ घर पर रहते हैं। साक्षी से रंगदारी दस हजार व पचास हजार के बारे में पूँछा गया तो उसने कहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। दरोगा जी ने कैसे मेरे बयान में लिख दिया, मैं नहीं बता सकता। दरोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था। साक्षी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा-161 दं०प्र०सं० से इन्कार किया तथा कहा कि यह बयान मैंने दरोगा जी को नहीं दिया था।"

38. इसी क्रम में अभियोजन द्वारा घटना के पीड़ित बृजराज को भी अभियोजन कथानक को सिद्ध करने हेतु प्रस्तुत किया। साक्षी पी०डब्लू० 2 बृजराज ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक के विपरीत कथन किया कि, "मेरा अपहरण किसने किया था और किसके द्वारा फिरौती में क्या मांगा गया था, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। मेरा अपहरण किस तिथि को हुआ था, इसकी भी मुझे जानकारी नहीं है। पुलिस वाले किसी व्यक्ति को लेकर मेरे घर नहीं आये थे। पुलिस वाले दिनेश तिवारी व पप्पू को मेरे यहाँ लेकर कभी नहीं आये थे और न ही मुझे भय में डालकर किसी ने मुझसे पैसे की मांग ही किया था तथा न ही मुझे किसी प्रकार की कोई धमकी ही दी गयी थी। मैं दिनेश तिवारी व पप्पू को न तो पहले से कभी जानता था और न ही कभी उनसे मिला था। अभियुक्तगण चन्द्रिका प्रसाद, दीपनरायन, त्रिलोकी व हरेन्द्र प्रसाद मेरे घर पर नहीं आये थे और न ही इन लोगों को मैं पहले से जानता-पहचानता था। अभियुक्तगण उपरोक्त दिनेश तिवारी व पप्पू को लेकर मेरे पास कभी नहीं आये और न ही मैंने उन्हें कोई रूपया दिया था।"

39. उक्त साक्षी द्वारा जिरह में कथन किया गया कि, "राघवेन्द्र अग्रवाल उर्फ गुड्डू मेरे सगे भाई है और मैं उन्हीं के साथ रहता हूँ। मैं कही गया हुआ था। मेरा कोई अपहरण नहीं हुआ था। अभियुक्तगण चन्द्रिका प्रसाद, दीपनरायन, त्रिलोकी व हरेन्द्र प्रसाद अभियुक्तगण दिनेश तिवारी व पप्पू को लेकर मेरे यहाँ नहीं आये थे और न ही कोई पैसे की मांग किये थे। मैं अभियुक्तगण को पहले से नहीं जानता था। रंगदारी मांगने व देने के संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है तथा रंगदारी मांगने के संबंध में अभियुक्तगण ने मुझे कोई धमकी नहीं दिया था और न ही मैंने दस हजार रूपया दिया था। साक्षी को उसका बयान अन्तर्गत धारा-161 दं०प्र०सं० पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने अपने बयान से इन्कार किया तथा कहा कि मैंने दरोगा जी को ऐसा कोई बयान नहीं दिया था।" इस प्रकार साक्षी पी०डब्लू० 2 द्वारा जिससे मुख्य रूप से अभियुक्तगण द्वारा पैसे वसूलने हेतु धमकी दिये जाने का कथन किया गया है, उसके द्वारा स्वयं ऐसी किसी भी घटना

से इन्कार किया गया है, जिससे अभियोजन कथानक संदेहास्पद हो जाते हैं।

40. इसी प्रकार साक्षी पी०डब्लू० 3 जुगल कृष्ण अग्रवाल उर्फ युगल जिसे अभियोजन द्वारा घटना का स्वतंत्र साक्षी कहा गया, उसके द्वारा भी अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि, "दिनांक 22.03.2004 को मैं अपनी दुकान पर जो बंसल स्पाट के नाम से जानी जाती है, समय करीब 09:30-10:00 बजे मौजूद था। उस दौरान मैंने किसी को भी बृजराज के घर मोटर साइकिल से आते-जाते नहीं देखा था। मैं जिस मुकदमे में आज गवाही देने आया हूँ, उसके बारे में कुछ नहीं जानता। पुलिस वाले मुझसे मेरे बयान नहीं लिये थे। उन्होंने मेरा बयान कैसे लिख लिया, मैं नहीं बता सकता। मैंने वहाँ पर दो सिपाहियों व अभियुक्त पप्पू उर्फ दिनेश तिवारी को मेरे पड़ोसी बृजराज के घर पर नहीं देखा था।"

41. उक्त साक्षी द्वारा जिरह में कथन किया गया कि, "जिस मुकदमे में मैं आज गवाही देने न्यायालय आया हूँ, उस मुकदमे के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं अभियुक्तगण चन्द्रिका प्रसाद, त्रिलोकी प्रसाद, दीपनरायन व हरेन्द्र तथा पप्पू उर्फ दिनेश तिवारी को मैं पहले से जानता-पहचानता नहीं हूँ। उन लोगों के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। उक्त लोगों द्वारा फिरौती मांगने व जान से मारने की धमकी दिये जाने के अपराध के बारे में भी मुझे कोई जानकारी नहीं है। किसने, किससे फिरौती मांगी तथा जान से मारने की धमकी दिया और किसने किससे क्या लिया-दिया, मुझे कोई जानकारी नहीं है। साक्षी को बयान अन्तर्गत धारा-161 दं०प्र०सं० पढ़कर सुनाया गया तो उसने कहा कि मैंने दरोगा जी को ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। उन्होंने मेरा यह बयान कैसे लिख लिया, मैं नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि जिस मुकदमे में मैं आज गवाही देने आया हूँ, उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है।"

42. प्रस्तुत प्रकरण के साक्षी पी०डब्लू० 2 बृजराज, जो कि प्रकरण का पीड़ित है, उनके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा व जिरह में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि, "मेरा अपहरण किसने किया था और किसके द्वारा फिरौती में क्या मांगा गया था, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। मेरा अपहरण किस तिथि को हुआ था, इसकी भी मुझे जानकारी नहीं है। पुलिस वाले किसी व्यक्ति को लेकर मेरे घर नहीं आये थे। पुलिस वाले दिनेश तिवारी व पप्पू को मेरे यहाँ लेकर कभी नहीं आये थे और न ही मुझे भय में डालकर किसी ने मुझसे पैसे की मांग ही किया था तथा न ही मुझे किसी प्रकार की कोई धमकी ही दी गयी थी। मैं दिनेश तिवारी व पप्पू को न तो पहले से कभी जानता था और न ही कभी उनसे मिला था। अभियुक्तगण

चन्द्रिका प्रसाद, दीपनरायन, त्रिलोकी व हरेन्द्र प्रसाद मेरे घर पर नहीं आये थे और न ही इन लोगों को मैं पहले से जानता-पहचानता था। अभियुक्तगण उपरोक्त दिनेश तिवारी व पप्पू को लेकर मेरे पास कभी नहीं आये और न ही मैंने उन्हें कोई रूपया दिया था।" उक्त साक्षी द्वारा जिरह में कथन किया गया कि, "राघवेन्द्र अग्रवाल उर्फ गुड्डू मेरे सगे भाई है और मैं उन्हीं के साथ रहता हूँ। मैं कही गया हुआ था। मेरा कोई अपहरण नहीं हुआ था। अभियुक्तगण चन्द्रिका प्रसाद, दीपनरायन, त्रिलोकी व हरेन्द्र प्रसाद अभियुक्तगण दिनेश तिवारी व पप्पू को लेकर मेरे यहाँ नहीं आये थे और न ही कोई पैसे की मांग किये थे। मैं अभियुक्तगण को पहले से नहीं जानता था। रंगदारी मांगने व देने के संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है तथा रंगदारी मांगने के संबंध में अभियुक्तगण ने मुझे कोई धमकी नहीं दिया था और न ही मैंने दस हजार रूपया दिया था।"

43. इस प्रकार स्पष्ट है कि साक्षी पी०डब्लू० 1 राघवेन्द्र अग्रवाल, पी०डब्लू० 2 बृजराज अग्रवाल व पी०डब्लू० 3 जुगल कृष्ण अग्रवाल उर्फ युगल द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है तथा घटना से इन्कार किया गया है।

44. इस स्तर पर यह भी उल्लेखनीय है कि साक्षी पी०डब्लू० 4 विनोद कुमार यादव सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 22.03.2004 को प्रभारी निरीक्षक, थाना कोतवाली-टाण्डा के पद पर नियुक्त थे। अभियुक्त दिनेश तिवारी ने दोनों सिपाहियों के साथ अवैध वसूली के लिए दबाव बनाया है। परन्तु अपनी जिरह में कथन किया गया कि, "मुझे याद नहीं है कि अभियुक्त दिनेश तिवारी के बृजराज के घर होने की सूचना किसके द्वारा मिली थी। मैं उस समय क्षेत्र में था परन्तु कहाँ था, यह याद नहीं है। जब मैं बृजराज के घर पहुँचा तो दोनों सिपाही अभियुक्त दिनेश तिवारी को लेकर वहाँ मौजूद नहीं थे। मुझे याद नहीं है कि मैंने मौके पर किन-किन लोगों से पूँछताछ किया था। मैंने उनका नाम विवेचक को भी अपने बयान अन्तर्गत धारा-161 दं०प्र०सं० में नहीं बताया था। मोटर साइकिल का नम्बर मुझे किस व्यक्ति ने बताया था, यह भी याद नहीं है। दोनों सिपाहियों का नाम दिनांक 22.03.2004 को उनके द्वारा पेशी पर अम्बेडकरनगर आने के कारण पता चला था। मौके पर मौजूद जनता के लोगों में से जिससे मैंने पूँछताछ किया था, उनका नाम मैं नहीं बता सकता। दिनांक 11.03.2004 को कां० दीपनरायन व कां० हरेन्द्र यादव तथा

अभियुक्त दिनेश तिवारी द्वारा बृजराज अग्रवाल से दस हजार रूपया वसूल किये जाने के बावत बृजराज अग्रवाल ने कोई शिकायत या प्रार्थना पत्र थाना कोतवाली-टाण्डा में नहीं दिया था। दिनांक 22.03.2004 व दिनांक 11.03.2004 की घटना के संबंध में बृजराज अग्रवाल व उनके किसी सगे संबंधी ने कोई शिकायत या प्रार्थना पत्र थाने पर नहीं दिया था।" इस प्रकार साक्षी पी०डब्लू० 4 द्वारा जिरह में किये गये कथनों से घटना संदेहास्पद होती है।

45. साक्षी पी०डब्लू० 5 जबरूलहसन सेवानिवृत्त निरीक्षक ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि, "जाँच में मेरे द्वारा यह तथ्य पाया गया कि अभियुक्त दिनेश तिवारी उर्फ पप्पू मु०अ०सं०-135/2001 धारा-368, 364ए., 411 व 120बी. भा०दं०सं०, थाना कोतवाली-अकबरपुर के प्रकरण में निरूद्ध होते हुए दिनांक 22.03.2004 को न्यायालय में पेशी के समय अभिरक्षा में समय करीब 09:30 बजे सुबह सियाराम मनोहर लाल फर्म के मालिक श्री बृजराज के आवास पर पहुँचे और धमकाते हुए रूपयों की मांग की। बृजराज ने इस बात की सूचना अपने संबंधियों को जरिये टेलीफोन दिया था। <u>मेरी जाँच में यह भी पता चला था कि दिनांक 11.03.2004 को भी उक्त अभियुक्त बृजराज से दस हजार रूपये की वसूली धमकी देकर कर चुके हैं।</u> उक्त दोनों घटना की सूचना पीड़ित बृजराज द्वारा स्थानीय पुलिस को डरवश नहीं दी गयी। उनके रिश्तेदारों द्वारा प्रभारी महोदय को सूचना दी गयी थी जिसके पश्चात प्रभारी महोदय द्वारा बीट सूचना अंकित करायी गयी थी।" उक्त साक्षी द्वारा जिरह में कथन किया गया कि, "<u>दिनांक 11.03.2004 को अभियुक्त दिनेश तिवारी को बस्ती जेल से कौन-कौन से सिपाही लेकर आये थे, उनका नाम मैंने तहरीर में नहीं लिखाया था और न ही जाँच में उन दोनों सिपाहियों का नाम मुझे पता चल पाया था।</u> दिनांक 22.03.2004 को अभियुक्त दिनेश तिवारी को बस्ती जेल से जो सिपाही न्यायालय लेकर आये थे, उनका नाम चन्द्रिका प्रसाद व त्रिलोकी प्रसाद है। <u>उन दोनों सिपाहियों तथा दिनेश तिवारी का नाम मुझे पीड़ित पक्ष ने बताया था। मुझे पीड़ित पक्ष बृजराज अग्रवाल द्वारा दोनों सिपाहियों चन्द्रिका प्रसाद व त्रिलोकी प्रसाद तथा अभियुक्त दिनेश तिवारी का नाम बताया गया था। जबकि बृजराज द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि वह दिनेश तिवारी व पप्पू को न तो पहले से कभी जानता था और न ही कभी उनसे मिला था।</u> प्रकरण के पीड़ित साक्षी पी०डब्लू० 2 बृजराज द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट तौर पर कथन किया गया है कि अभियुक्तगण चन्द्रिका प्रसाद, दीपनरायन, त्रिलोकी व हरेन्द्र प्रसाद उसके घर पर नहीं आये थे और न ही वह उन लोगों को जानता-पहचानता था और न ही मैंने उन्हें कोई रूपया दिया था। इस प्रकार साक्षी पी०डब्लू० 4 के कथनों से अभियोजन कथानक सिद्ध नहीं होते हैं।

उल्लेखनीय है कि जहाँ तक धारा-383 भा०दं०सं० का प्रश्न है, वह दण्डनीय नहीं है, वह मात्र परिभाषित है।

46. इस प्रकार उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण पी०डब्लू० 1 राघवेन्द्र अग्रवाल, पी०डब्लू० 2 बृजराज अग्रवाल व पी०डब्लू० 3 युगल कृष्ण अग्रवाल द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है तथा घटना से इन्कार किया गया। अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 4 सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक विनोद कुमार यादव, पी०डब्लू० 5 सेवानिवृत्त निरीक्षक जबरूलहसन, पी०डब्लू० 6 सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक नागेन्द्र सिंह, पी०डब्लू० 7 उपनिरीक्षक अरविन्द कुमार पाण्डेय व पी०डब्लू० 8 जयप्रकाश यादव द्वारा दिये गये साक्ष्य से अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं होता है। उक्त साक्षीगण द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा व जिरह में परस्पर विरोधाभाषी कथन किये गये हैं, जिससे अभियोजन कथानक को कोई समर्थन प्राप्त नहीं होता है। इसके अतिरिक्त इस स्तर पर यह भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत समस्त साक्षीगण जिनके साथ घटना कारित होना बताया गया है, वे समस्त साक्षीगण पक्षद्रोही हो गये है, जिससे अभियोजन कथानक संदिग्ध प्रतीत होता है।

47. अतः उपरोक्त निष्कर्ष एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं परीक्षित साक्षीगण के कथनानुसार सम्पूर्ण अभियोजन कथानक पर संदेह उत्पन्न होता है। उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभिलेख पर जो साक्ष्य आया है, उसके संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है, जो यह साबित करता हो कि अभियुक्तगण ने दिनांक 11.03.2004 को समय अदम तहरीर बहद स्थान मोहल्ला चौक हयातगंज, थाना कोतवाली-टाण्डा, जनपद-अम्बेडकरनगर में अभियुक्त दिनेश तिवारी उर्फ पप्पू के साथ मिलकर अन्य अभियुक्तगण ने बृजराज को धमकी देकर मु० 10,000/- रूपये उगाही किया एवं दिनांक 22.03.2004 को समय 09:30 बजे उक्त स्थान पर अभियुक्त दिनेश तिवारी उर्फ पप्पू के साथ मिलकर अन्य अभियुक्तगण ने बृजराज को उपहति के भय में डालकर पैसों की उगाही हेतु धमकी दिया तथा अभियुक्तगण द्वारा बृजराज को जान से मारने की धमकी दी गयी। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण पर आरोपित आरोप को युक्ति-युक्त संदेह से परे सिद्ध करने में सफल नहीं रहा है।

48. इस प्रकार, सम्पूर्ण प्रकरण के विश्लेषण तथा अभिलेख पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अभियुक्तगण चन्द्रिका प्रसाद, दीपनरायन व हरेन्द्र प्रसाद के विरूद्ध धारा-386 व

506 भा०दं०सं० एवं अभियुक्त त्रिलोकी प्रसाद के विरूद्ध धारा-384 सपठित धारा-34, 386 सपठित धारा-34 व 506 भा०दं०सं० का अपराध सिद्ध नहीं होता है। अतः अभियुक्तगण चन्द्रिका प्रसाद, दीपनरायन व हरेन्द्र प्रसाद आरोप अन्तर्गत धारा-386 व 506 भा०दं०सं० से एवं अभियुक्त त्रिलोकी प्रसाद आरोप अन्तर्गत धारा-384 सपठित धारा-34, 386 सपठित धारा-34 व 506 भा०दं०सं० से संदेह का लाभ पाते हुए प्रस्तुत प्रकरण में दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्तगण चन्द्रिका प्रसाद, दीपनरायन व हरेन्द्र प्रसाद को अन्तर्गत धारा-386 व 506 भा०दं०सं० के आरोप से एवं अभियुक्त त्रिलोकी प्रसाद को अन्तर्गत धारा-384 सपठित धारा-34, 386 सपठित धारा-34 व 506 भा०दं०सं० के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर हैं। अतः उनके बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा उनके प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

प्रत्येक अभियुक्तगण चन्द्रिका प्रसाद, त्रिलोकी प्रसाद, दीपनारायन व हरेन्द्र प्रसाद धारा-437-ए. दं०प्र०सं० के तहत मु० 20,000-20,000-/- (बीस-बीस हजार रूपये मात्र) का व्यक्तिगत बंधपत्र व इसी धनराशि की एक-एक प्रतिभू दाखिल करना सुनिश्चित करें।

दिनांकः-04.11.2023

(प्रियंका सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अम्बेडकरनगर।
जे०ओ० कोड यू०पी० 2082

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांकः-04.11.2023

(प्रियंका सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अम्बेडकरनगर।
जे०ओ० कोड यू०पी० 2082